भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 616

09 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मादक पदार्थों की लत

616. श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में मादक पदार्थों की लत के मामले बढ़ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) मादक पदार्थों की लत के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) : (अ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत में नशीले पदार्थों के सेवन की व्यापकता, पैटर्न और रूझानों पर वर्ष 2004 में किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाए गए पैटर्न की तुलना में नशीले पदार्थों के सेवन की व्यापकता और पैटर्न पर 2018 में कराए गए व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के पैटर्न में परिवर्तन आया है।

भारत में नशीले पदार्थों के सेवन की व्यापकता और पैटर्न पर 2018 में कराए गए व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, नशीले पदार्थों के सेवन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पदार्थ का नाम	सेवनकर्ताओं (आयु 10-17 वर्ष) की अनुमानित सं.	सेवनकर्ताओं (आयु 18-75 वर्ष) की अनुमानित सं.

1.	शराब	30,00,000	15,01,16,000
2.	भांग	20,00,000	2,90,18,000
3.	अफीमयुक्त पदार्थ	40,00,000	1,86,44,000
4.	शामक (सेडटिव)	20,00,000	1,05,80,000
5.	इनहैलेंट (सांस द्वारा सेवन)	30,00,000	51,25,000
6.	कोकेन	2,00,000	9,40,000
7.	एम्फेटमीन किस्म के उत्तेजक (स्टीम्यूलेंट) (एटीएस)	4,00,000	15,47,000
8.	हैलूसिनोजन (विभ्रामक)	2,00,000	11,01,000

(ख): नशीली दवा की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) एक अंब्रेला स्कीम है जिसके तहत (i) निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता-निर्माण, कौशल विकास, पुराने व्यसनियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और जीविकोपार्जन सहायता, नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के लिए (ii) व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) के संचालन और रख-रखाव, किशोरों में नशे के सेवन की पहले से रोकथाम के लिए सामुदायिक आधारित और समकक्ष व्यक्तियों के नेतृत्व में हस्तक्षेपी उपाय (सीपीएलआई), जन संपर्क और मिलने-जुलने (ड्रॉप इन) के केंद्रों (ओडीआईसी) और जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एनएपीडीडीआर स्कीम के तहत निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए हैं:

i. 372 सर्वाधिक कमज़ोर जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया है जिसके तहत 8000 से अधिक युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से एक व्यापक सामुदायिक जन-संपर्क किया जाता है।

ii. मंत्रालय द्वारा व्यसनियों के लिए 340 एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) को सहायता दी जाती है। ये आईआरसीए नशा-ग्रस्त लोगों के उपचार के लिए सहायता ही नहीं बल्कि उन्हें निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, प्रेरक परामर्श, डीटॉक्सीफिकेशन/नशा-मुक्ति, परिचर्या के पश्चात समाज की मुख्यधारा में पुन:सम्मिलित करने की सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

iii. मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित और समकक्ष व्यक्तियों के नेतृत्व में क्रियाकलापों (सीपीएलआई) हेतु 49 केंद्रों को सहायता दी जाती है। ये सीपीएलआई केंद्र कमज़ोर और जोखिम वाले बच्चों और किशोरों पर विशेष ध्यान देते हैं। इसके अंतर्गत समकक्ष जानकार व्यक्ति बच्चों के माध्यम से जागरूकता सृजन और जीवन के कौशल संबंधी क्रियाकलापों का संचालन करते हैं।

iv. मंत्रालय द्वारा 73 जन-संपर्क और मिलने-जुलने के केंद्रों (ओडीआईसी) को सहायता दे रहा है। ये ओडीआईसी नशीले पदार्थों के सेवनकर्ताओं के उपचार और पुनर्वास के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं तथा साथ ही, इन्हें जांच, मूल्यांकन और परामर्श संबंधी सेवाओं का प्रावधान करते हैं तथा इसके बाद नशीले पदार्थों पर निर्भरता छुड़ाने के लिए उपचार और पुनर्वास के लिए रेफरल और संपर्क सेवा भी प्रदान करते हैं।

v. मंत्रालय कुछ सरकारी अस्पतालों में 41 व्यसन (एडिक्शन) उपचार सुविधाकेंद्रों (एटीएफ) की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान कर रहा है। इसे एम्स, नई के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

vi. नशा-मुक्ति के लिए एक टॉल-फ्री हेल्पलाइन नं. 14446 मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता मांग रहे व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

vii. मंत्रालय अपने स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) तथा अन्य सहयोगकारी एजेंसियों जैसे एससीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि के माध्यम से छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों आदि सहित सभी हितधारकों के लिए नियमित जागरूकता सृजन के सत्रों के आयोजन का प्रावधान करता है।

(ब) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय 'नशा मुक्ति कार्यक्रम (डीडीएपी)' का संचालन कर रहा है। यह कार्यक्रम 1987-88 में शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य हैं नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी सभी विकारों के लिए सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्रों के माध्यम से वहनीय, सरलता से उपलब्ध और साक्ष्य आधारित उपचार प्रदान करना और नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों की पहचान और प्रबंधन में स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ की क्षमताओं का संवर्द्धन करना। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य संस्थानों

नामत: एम्स, नई दिल्ली; पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, निम्हांस, बेंगलुरू, आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली; एम्स, भुवनेश्वर और सीआईपी, रांची के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इन छह संस्थानों में से एम्स, नई दिल्ली स्थित केंद्र (एनडीडीटीसी) राष्ट्रीय/नोडल केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है और डीडीएपी के अन्य बड़े घटक "डीटीसी स्कीम" का समन्वय कर रहा है। इस स्कीम के तहत, देशभर में 27 नशा उपचार क्लिनिक जिला/सिविल अस्पतालों में कार्यरत हैं जिनमें ओपीडी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने "नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों और व्यवहार संबंधी व्यसनों के प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशा-निर्देश" जारी किए हैं, जो मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.nic.in पर उपलब्ध है। नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों के लिए गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में चिकित्सकों की सहायतार्थ चिकित्सकों के लिए "पॉकेट बुक" तथा एडिक्शन-आरएक्स मोबाइल एप्प (एंड्रॉयड और आईओएस) जारी किया गया है।

******